

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

कमोंक/१४/आर. /चार/ब-७/डीएमसी २०१६

भोपाल दिनोंक ०३/०२/२०१६

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

सह-आयुक्त,

कोष एवं लेखा,

मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में मितव्ययता के उपाय ।
०००

उपरोक्त विषयांतर्गत विभागीय प्रस्ताव के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र कं०-१७४९/२०१५/डीएमसी/ब-७ भोपाल, दिनोंक १५/१०/२०१५ से लगाये गये प्रतिबंध के संदर्भ में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को आयोजनेत्तर मद २०२०-३१-००३ में राशि ₹ ६,०५,६०७/- एवं २०२०-३१-०७ (परिवहन) में राशि ₹ १९,७८,२५९/- तक की सीमा में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल
भोपाल दिनोंक /०२/२०१६

कमोंक /आर. /चार/ब-७/डीएमसी २०१६

प्रतिलिपि :-

१. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, म०प्र०, भोपाल ।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

